प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के औषधि निरीक्षक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा–2017

ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e ifLrdk

vkuykbu vkonu&i=			
भरने की प्रारम्भ तिथि	: 10–03–2017	भरने की अंतिम तिथि	: 24–03–2017
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 10–03–2017	आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 29–03–2017
परीक्षा दिनांक व दिन		08–09 अप्रैल 2017 शनिवार, रविवार	

ijh{kk 'kYd		
सीधी भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	:- 500@&
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	:- 250@&

ऑनलाईन आवेदन – कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/– देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/– रू. देय होगा ।

vkuykbu ijh{kk i)fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
08–09/04/2017 शनिवार, रविवार	एक	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 05:00 तक (3:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3- vkuykbu vkonu&i= Øekd d }kjk gh fyf[kr ijh{kk gr vH;Fkh viuk io'k&i= ikIr dj ldr gA vr% vkonu&i= Øekd vko';d :i l lHkky dj j[k ftldh leLr@ftEenkjh vkond dh gh gkxhA
4- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igpku i=] iudkM] vk/kkj dkM] Mk;fox yk;l1] vdlph e; QkVkxkQ] rFkk ikliksV e l dkb ,d dk p;fur dj ldrk g A bl vk/kkj ekU; ugh gA
6- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. उक्त पद पर भर्ती हेतु आदिम जनजाति (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के उम्मीदवारों को परीक्षा से छुट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन कर सकते है ।

ikQ'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ] Hkksiky] e0iz0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के औषधि निरीक्षक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा–2017

fo"k;&lwph

l- Ø-	v/;k;	fooj.k	i"B Ø-
1.	1	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	3&8
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	9&26
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	27&30
4.	ifj&1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	31
5.	ifj&2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	32
6.	ifj&3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	33
7.	ifj&4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	34

v/;k;&1
fu;=d] [kk| ,o vk"kf/k iz'kklu] e/;izns'k] Hkksiky foHkkxh; fu;e

1-1 lkekU; %&

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र. एक/स्था/18/2014/6863 भोपाल दिनांक 10.10.2014 के अनुसार **नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के औषधि निरीक्षक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा–2017** के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे।

1-2 ifjHkk"kk;s %&

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – **नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है –मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड, भोपाल से है।

(ई) ''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;kX;rk %&

¼d½ inuke & vk"kf/k fujh{kd ¼dk;Zikfyd½] osrueku 9300&34800$3600xzsM ij xzsM iSa

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %& Degree in Pharmacy or Farmaceutical Sciences or Medicine With Specialisation in Clinical Formacology or Microbiology from a University established in India

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk %&

1- vk;qDr] [kk| lqj{kk ,oa fu;=d [kk| ,oa vkS"kf/k ç'kklu] Hkksiky ¼e-ç-½

vk;qDr] [kk| lqj{kk ,oa fu;=d [kk| ,oa vkS"kf/k ç'kklu] Hkksiky ¼e-ç-½ के पत्र क्रमांक 3978 भोपाल दिनांक 23.07.2016 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

lh/kh Hkrhz & vk"kf/k fujh{kd & dqy 18 in ¼dk;Zikfyd½

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		नि:शक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टिबाधित, 01 पद श्रवणबाधित नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
1.	अनारक्षित (UR)	03	04	02	01	10	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	01	–	01	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	–	–	01	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	–	01	03	
	;ksx	06	06	02	04	18	

osrueku & 9300&34800$3600xzsM is

'kS{kf.kd ;kX;rk & Degree in Pharmacy or Farmaceutical Sciences or Medicine With Specialisation in Clinical Formacology or Microbiology from a University established in India

ukV%& 1- U;wure 'kS{kf.kd vgZrk vkosnu djus dh frfFk rd iw.kZ gksuk vfuok;Z gSA

1-4 ukxfjdrk ,o LFkkbl fuoklh d lc/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

   (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

   (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

   (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1-5 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, vk;q lhek %&

(i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 tuojh 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव पत्र क्र./सी.3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, (विगलांग हेतु) क्रमांक 50/2532/1/3/80 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 1981 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :–

सक्र0	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष	–
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	–
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष	–

1-5-2 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa iksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(क) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18– 85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-5-3 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek ds lac/k esa vU; foj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि

भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

¼?k½ lkekU; iz'kklu foHkkx ds Kki Øekad 50&2532&¼3½ 80 fnukad 12-02-1981 ,oa Øekad ,Q 8&1@06@vk0iz0@,d fnukad 12-06-2006 }kjk lsok ;kX; fu%'kDrtuksa dks ¼U;wure 40 izfr'kr fu%'kDrrk okys 'kkjhfjd :i ls fu%'kDr 0;fDr½ fu/kkZfjr vk;q lhek esa 10 o"kZ dh NwV inku dh xbZ gSA

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dkbZ vkosnd iwoZ ls gh LFkk;h :i ls fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dks 'kkfey djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh iqoxZ ds fy, vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

1-6 p;u dk vk/kkj %&

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशलन एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा । प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होगें । तीन घंटे की समयावधि का प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न–पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय–3 देखें।

1-7 ikoh.;@izrh{kk lwph %&

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1-8 ikjLifjd ojh;rk %

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1-9 lR;kiu@ijh{k.k ds le; vko';d izek.k&i=ksa dk fooj.k %&

1-9-1 LFkkbZ fuoklh izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

1-9-2 tkfr izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1-9-3 fodykax izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1-10 nLrkostksa@izek.k&i=ksa dk ijh{k.k o pfj= lR;kiu %

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

foHkkx }kjk pkgs x, leLr ii=@nLrkost@izek.k&i= e/;izns'k 'kklu ds lkekU; iz'kklu foHkkx }kjk tkjh fu/kkfjr izk:i vuqlkj vH;FkhZ }kjk fu;qfDr@lR;kiu@ijh{k.k ds le; lacaf/kr foHkkxksa ds le{k izLrqr djuk gksxkA

1-11 vH;fFkZrk@p;u ds lca/k esa fugZrk,a@tkudkjh %&

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(घ) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(ङ) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(च) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

(छ) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात्, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

1-12 fu;qfDr dh 'krsZ %

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1-13 ;k=k HkRrk dk Hkqxrku %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर **नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल** द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1-14 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

v/;k;&2

ikQs'kuy ,Xtkfeus'ku cksMZ] Hkksiky ijh{kk lapkyu ds fu;e ,oa funsZ'k

[k.M&v

2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH;FkhZ 'kS{kf.kd vgZrkvksa dks Hkyh Hkkafr v/;;u mijkUr gh vkosnu i= HkjsaA

(ii) vkosnd dks fofHkUu inksa gsrq ,d gh vkosnu i= izLrqr djuk vfuok;Z gSA inksa dh la[;k esa vko';drkuqlkj deh ;k o`f) dh tk ldrh gSA

(iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

2-2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्‌म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2-3 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bls vk/kkj ekU; ugha gSA

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 ukxfjdrk ,oa LFkkbZ fuoklh ds lEcU/k esa %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

2-6 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk d fy, vk;q lhek %&

(i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 tuojh 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव पत्र क्र./सी.3–11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, (विगलांग हेतु) क्रमांक 50/2532/1/3/80 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 1981 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :–

सक्र0	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय /निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष	–
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष	–
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष	–

2-7 e/;in'k d LFkkbl fuoklh vkondk dk ikkRlkgu Lo:i nh tkus okyh NVt %&

(i) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) fdlh Hkh fLFkfr esa vf/kdre vk;q 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA ¼fdlh Hkh çdkj dh NwV lfEefyr djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh çoxZ ds fy, vf/kdre vk;q lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksA

2-8 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek ds lac/k esa vU; fooj.k %&

(i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>Li"Vhdj.k</u> %& शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(iI) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (बिन्दु क्र. 2.6 में उल्लेखित तालिका अनुसार)

<u>Li"Vhdj.k</u> %& शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति—रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vhi % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2-8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम–5 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

'' आयु–सीमा के संबंध में विशेष उपबंध–राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु–सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु–सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

2-9 fyf[kr ijh{kk e fu%'kDrtu vH;fFk;k d fy, miyC/k lfo/kk, %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09. 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍं प्रदान की जायेगी :–

(i) ;g lfo/kk fuEufyf[kr vH;fFk;k dk inku dh tkoxh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(ii) y[ku fyfid ¼lgk;d½ dh lqfo/kk %&

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न–पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।

3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) vfrfjDr le; grq 'krsZ %&

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

ukV & fcUnq Ø- 2-9 dh dfMdk & (i) esa mYysf[kr fu;e dk ikyu djus okys vH;FkhZ ;fn y[ku fyfid ¼lgk;d½ ;k vfrfjDr le; pkgrs gSa rks gh ihbZch dk;kZy; dks mijksDr le;kof/k esa vkosnu dj ldrs gSaA

2-10 izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& izos'k i= tkjh gksus ds mijkar fdlh rjg dk =qfV lq/kkj ugha fd;k tk;sxk ,oa fdlh Hkh izdkj dh =qfV nf"Vxkspj gksus ij ih-bZ-ch- vkuykbZu vkosnu&i= dks jnn@fujLr@ ifjofrZr djus dk vf/kdkj lqjf{kr j[krk gSA

2-11 ijh{kk izos'k&i= **(Test Admit Card) :-**

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, ck;s gkFk ds vxwBs dk fu'kku तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-13 v- =fVi.k i'u] mlds fujLrhdj.k ,oa cnys esa fn;k x;k vad %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :– यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

mnkgj.k 02 :– यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

mnkgj.k 03 :– यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी. / प–1 / 11 / 22–2016 / 4839 / 2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार हैः–

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न–पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम. / पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :–

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यू.एफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरूद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2-16 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2-17 ijh{kk ifj.kke %&

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-18 ikQ'kuy ,Xtkfeu'ku cksM] Hkksiky dk dk;Z fyf[kr ijh{kkvksa dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11–38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-19 U;kf;d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

[k.M&c

2-20 vkuykbu vkonu&i= d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkot dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगाः–

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2-21 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj lyXu dju lc/kh funi'k%&

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र ik:i&03 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>vkonu Hkju dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QkVkxkQ ij f[kpoku dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYy[k gkuk pkfg;A</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-22 ,e-ih- vkWuykbZu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगाः–

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-23 vkWuykbZu vkosnu Hkjus ds laca/k esa funsZ'k %

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) vkosnd dk vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA blds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) vkWuykbZu vkosnu i= esa vkosnd dk viuk vk/kkj dkMZ Øekad vfuok;Zr% vafdr fd;s tkus dk izko/kku j[kk gS A blds mi;ksx ls

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त

किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।

3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी ।
4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।
5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरखित रखा जायेगा ।
6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2-24 vkWuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी.आनलाईन की osclkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-25 vkWuykbu vkosnu&i= Hkjus gsrq nks fodYi gS %&

¼v½ bUVjusV dSQs }kjk ¼D;kLd½

¼c½ Lo;a ds dEI;wVj }kjk

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

¼v½ ØfMV@MfcV dkM
¼c½ bVjuV cfdx

2-26 ØfMV@MfcV dkM d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%&

(i) आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-27 bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद

मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-29 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

(ii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-30 ,d ls vf/kd vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus lEca/kh funsZ'k %&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना

चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2-31 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k ¼&

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-32 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ 3–17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2-35 cSxk] lgkfj;k ,oa Hkkfj;k tutkfr;ksa ds vH;fFkZ;ksa ds fy, vkosnu çfØ;k ¼in miyC/k gksus dh n'kk esa½ %&

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र कमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26. 06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkZfjr U;wure 'kS{kf.kd vgZrk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु lacaf/kr foHkkx को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा **बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य** माना जायेगा।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2-36 i|u%x.kuk@i|ueY;kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात i|u%x.kuk@i|ueY;kdu का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2-37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

[k.M&l

2-38 vkonu i= Hkjus dh le;kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
10/03/2017	24/03/2017	15	10/03/2017	29/03/2017	20

4-39 vkuykbu ijh{kk dk fooj.k

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	08–04/04/2017	शनिवार	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 12:00 तक	200
2	द्वितीय		रविवार		प्रातः 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला/क्लिक करना होगा।

2-40 (i) ijh{kk 'kqYd %&

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01-	,d	500/–	250/–	250/–	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/– कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/–

(ii) l'kks/ku fd;s tkus ij ns; 'kqYd

स.क.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	,d	20/–	50/–

2-41 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

vkuykbu ijh{kk dsUnz			
भोपाल	इन्दौर	जबलपुर	ग्वालियर

[k.M&n

vkuykbu ijh{kk i.kkyh dk lc/k e funs'k

2-42

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षाा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) ई–आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 03

ijh{kk dk ikB;Øe
¼ijh{kk e doy ,d i'u i= jgxkA½

i'u [k.M v gk;j ld.Mjh Lrj 100 vd

विषयो का विवरण	(पाठ्यक्रम)
1. सामान्य ज्ञान	निरंक
2. सामान्य हिन्दी	
3. सामान्य अंग्रेजी	
4. सामान्य गणित	
5. सामान्य तार्किक योग्यता	
6. सामान्य विज्ञान	
7. सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	

i'u [k.M&c Lukrd Lrj 100 vd

Syllabus for the recruitment of Drug Inspector

Pharmaceutical Technology

Capsules: Advantages and disadvantages of capsule dosage form, material for production of hard gelatin capsules, size of capsules, method of capsule filling, soft gelatin, capsule shell and capsule content, importance of base absorption and minimum/gm factors in soft capsules , quality control, stability testing and storage

of capsule dosage forms. Microencapsulation: Types of microcapsules, importance of microencapsulation in pharmacy, microencapsulation by phase separation, coacervation, multi orifice, spray drying, spray congealing, polymerisation complex emulsion, air suspension technique, coating pan and other techniques, evaluation of micro capsules.

Tablets: (a)Formulation of different types of tablets, granulation, technology on largescale by various techniques, physics of tablets making, different types of tablet compression machinery and the equipments employed, evaluation of tablets. (b)Coating of Tablets : Types of coating, film forming materials, formulation of coating solution, equipments for coating, coating process, evaluation of coated tablets.(c)Stability kinetics and quality assurance.

Parenteral Products: (a)Preformulation factors, routes of administration, water for injection, pyrogenicity, non aqueous vehicles, isotonicity and methods of its adjustment (b)Formulation details, containers and closures and selection.

(c)Prefilling treatment, washing of containers and closures, preparation of solution and suspensions, filling and closing of ampoules, vials, infusion fluids, lyophillization & preparation of sterile powders, equipment for large scale manufacture and evaluation of parenteral products.(d)Aseptic Techniques-source of contamination and methods of prevention, Design of aseptic area, Laminar flow bench services and maintenance. (e)Sterility testing of pharmaceuticals.

Surgical products : Definition, primary wound dressing, absorbents, surgical cotton, surgical gauzes etc., bandages, adhesive tape, protective cellulosic hemostastics, official dressings, absorbable and

nonabsorbable sutures, ligatures and catguts. Medical prosthetics and organ replacement materials. Packaging of *Pharmaceutical Products:* Packaging components, types, specifications and methods of evaluation, stability aspects of packaging. Packaging equipments, factors influencing choice of containers, legal and other official requirements for containers, package testing. .

Liquid Dosages Forms : Introduction, types of additives used in formulations, Vehicles, stabilizers, preservatives, suspending agents, emulsifying agents, solubilizer, colors, flavours and others, manufacturing packaging and evaluation of clear liquids, suspensions and emulsions official in pharmacopoeia.

Semisolid Dosage Forms : Definitions, types, mechanisms of drug penetration, factors influencing penetration, semisolid bases and their selection. General formulation of semisolids, clear gels manufacturing procedure, evaluation and packaging.

Pharmaceutical Analysis

Quality assurance: GLP, TQM, Quality Review and Quality Documentation. Validation/Qualification (DQ/IQ/OQ/PQ) , validation of equipment, validation of analytical procedures.

The theoretical aspects, basic instrumentation, elements of interpretation of spectra, and applications of the following analytical techniques should be discussed :

1.Ultraviolet and visible spectrophotometry
2.Fluorimetry.
3.Infrared spectrophotometry.
4.Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy including 13c NMR.
5.Mass Spectrometry.
6.Flame Photometry.
7.Chromatography(TLC,HPLC,HPTLC,GLC, Paper Chromatography,)
8.Atomic Absorption Spectroscopy.

Pharmacology and toxicology

Introduction and general principle of pharmacology and toxicology:
Mode of action, drug receptor interaction, drug antagonist, absorption, distribution, metabolism and excretion, rate of administration, Bioavailability, drug dependence and addiction, drug abuse and toxicity, drug adverse reaction, Drug allergy of Central nervous system, Cardiovascular system, Autonomic nervous system, Gastro intestinal system and Respiratory system. Pharmacology of Autocoids, Hormones, Hormone antagonists, chemotherapeutic agents including anticancer drugs. Bioassays, Immuno Pharmacology. Drugs acting on the blood & blood forming organs. Drugs acting on the renal system.

Microbiology :

1.Introduction to the scope of microbiology.
2. Classification of microbes and their taxonomy. Actinomycetes, bacteria,
rickettsiae, spirochetes and viruses.
3. Identification of Microbes: Stains and types of staining techniques, electron microscopy.
4. Nutrition, cultivation, isolation of bacteria, actinomycetes, fungi, viruses, etc.
5.Microbial genetics and variation.
6.Control of microbes by physical and chemical methods.
a. Disinfection, factors influencing disinfectants, dynamics of disinfection,
disinfectants and antiseptics and their evaluation.
b. Sterilization, different methods, validation of sterilization methods
& equipments.
7. Sterility testing of all pharmaceutical products.
8. Microbial assays of antibiotics, vitamins & amino acids.

Pharmacognosy

Source, Chemical constituents, uses and adulteration of the following classes of natural drugs, Rauwolfia, Ipecacuanha, Belladona, Cinchona, Cinnamon, Digitalis, Senna, Aloe, Nuxvomica, Opium Alkaloid, Kurchi, Brahmi, Tulsi, Bael and Ephedra. And Glycosides : Chemistry and biosynthesis of digitoxin, digoxin, hecogenin, sennosides, diosgenin and sarasapogenin. Alkaloids: Chemistry, biogenesis and pharmacological activity of atropine and related compounds; quinine, reserpine, morphine, papaverine, ephedrine, ergot and vinca alkaloids.

Hospital & Clinical Pharmacy

Introduction to Clinical Pharmacy. Therapeutic Drug Monitoring Concept of Essential Drugs and Rational Drug use. Drug Store Management and Inventory Control: (a) Organization of drug store, Types of materials stocked, storage conditions (b) Purchase and Inventory Control principles, purchase procedures, Purchase order, Procurement and stocking. Drug distribution Systems in Hospitals:(a) Out-patient dispensing, methods adopted. (b) Dispensing of drugs to in-patients. Types of drug distribution systems. Charging policy, labeling.(c) Dispensing of drugs to ambulatory patients. (d) Dispensing of controlled drugs. Manufacture of Sterile and Nonsterile Products: Policy making of manufacturable items, demand and costing, personnel requirements, manufacturing practice,Master formula Card, production control, Manufacturing records. Records and Reports: Prescription filling, drug profile, patient medication profile,cases on drug interaction and adverse reactions, idiosyncratic cases etc.

Medicinal Chemistry

Structure, nomenclature, classification, synthesis, SAR and metabolism of the following category of drugs, which are official in Indian Pharmacopoeia and British Pharmacopoeia. Introduction to drug design. Stereochemistry of drug molecules. Hypnotics and Sedatives, Analgesics, NSAIDS, Neuroleptics, Antidepressants, Anxiolytics, Anticonvulsants, Antihistaminics, Local Anaesthetics, Cardio Vascular drugs – Antianginal agents Vasodilators, Adrenergic & Cholinergic drugs, Cardiotonic agents, Diuretics, Antijypertensive drugs, Hypoglycemic agents, Antilipedmic agents, Coagulants, Anticoagulants, Antiplatelet agents. Chemotherapeutic agents – Antibiotics, Antibacterials, Sulphadrugs. Antiproliozoal drugs, Antiviral, Antitubercular, Antimalarial, Anticancer, Antiamoebic drugs. Diagnostic agents. Preparation and storage and uses of official Radiopharmaceuticals, Vitamins and Hormones. Eicosonoids and their application.

Anatomy and physiology

Elementary knowledge of following systems :-Blood, Digestive System , respiratory system, Eye, Ear, Reproduction system and Urinary system.

Pharmaceutical Jurisprudence

A briefer view. And elaborate study of the following.
a.Pharmaceutical Ethics
b.Pharmacy Act 1948.
c.Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945.
d.Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act 1985 & Rules.
e.Drugs Price Control Order.
f.Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954
g.Prevention of Cruelty to Animals Act 1960.
h. Drugs Patent Act

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics

Introduction to Biopharmaceutics and Pharmacokinetics and their role in formulation development and clinical setting..Biopharmaceutics Passage of drugs across biological barrier (passive diffusion, active transport, facilitated diffusion and pinocytosis). Factors influencing absorptionPhysicochemical, physiological and pharmaceutical. Drug distribution in the body, plasma protein binding. Phamacokinetics Significance of plasma drug concentration measurement.

Compartment model-Definition and Scope. Pharmacokinetics of drug absorption -Zero order and first order absorption rate constant using Wagner-Nelson and LooReigel man method. Volume of distribution and distribution coefficient. Compartment kinetics -One compartment and two compartment odels.Determination of pharmacokinetic parameters from plasma and urine data after drug administration by intravascular r and o'al route.Curve fitting (method of Residuals), regression procedures. Clearance concept, Mechanism of renal clearance, clearance ratio, determination of renal clearance.Extraction ratio, hepatic clearance, biliary excretion, Extrahepatic circulation. Non-linear pharmacokinetics with special reference to one compartment model after 1. V drug administration, Michaeles Menten Equation, detection of non-linearity (Saturation mechanism). Clinical Pharmacokinetics Definition and scope . Dosage adjustment in patients with and without renal and hepatic failure. Design of single dose bio-equivalence study and relevant statistics. Pharmacokinetic drug interactions and their significance in combination therapy. Bioavailability and bioequivalence Measures of bioavailability, Cmax, t max, and Area Under the Curve (AUe). Design of single dose bioequivalence study and relevant statistics. Review of regulatory requirements for conduction of Bioequiv alent studies.

Pharmaceutical Biotechnology

Genetic Recombination : Transformation, conjugation, transduction, protoplast fusion and gene cloning and their applications. Development of hybrid om a for monoclonal antibodies. Study of drugs produced by biotechnology such as Activase, Humulin, Humatrope, HB etc. Antibiotics: Historical development of antibiotics. Antimicrobial spectrum and methods used for their standardization. Screening of soil for organisms producing antibiotics, fermenter, its design, control of different parameters. Isolation of mutants, factors influencing rate of mutation. Design of fermentation process. Isolation of fermentation products with special reference to penicillins,streptomycins tetracyclines and vitamin B12•

iz'u&iqfLrdk ds iz'uksa ds lEc/k esa vH;kosnu

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

¼uksV& ;g izi= dsoy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkjdj fu/kkZfjr le;kof/k rd

e.My dk;kZy; esa miyC/k djkus ij fopkj {ks= esa fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	iz'u Øekad	=qfV dk fooj.k	lk{; ds :i esa iLrqr nLrkost dk fooj.k	layXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर.............................

दिनांक........................... आवेदक का नाम......................................

ik : i&2

vkn’k mRrjks ij vkifRr grq vH;kosnu

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekad	vkn'k dqth e inf’kr mRrj	vH;Fkh d vuqlkj mRrj	mRrj d leFku e iLrqr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर.............................

दिनांक........................... आवेदक का नाम.....................................

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than one singnature should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं। अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

ik : i&4

Hkxrku ikIr dju d fy; Lo; d cd [kr dk fooj.k

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी का गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

....